

नोटिस नीलामी जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 (नीलामी के दिनांक से 31.03.2021 तक के लिये) के लिए खान पान (कैण्टीन), साइकिल स्टैण्ड, पान की दूकान व फल की दूकान का ठेका की नीलामी उपरोक्त अवधि हेतु दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक **24.11.2020** को दिन में **02.00 बजे से 04.00 बजे** के मध्य नीलामी समिति के अध्यक्ष व सदस्य गण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय फतेहपुर के परिसर में की जायेगी जो लोग बोली में भाग लेना चाहे निर्धारित शर्तों की जानकारी हेतु निर्धारित समय के एक दिन पूर्व तक नजारत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

1- नीलामी के समय बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व काशन मनी के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा निर्धारित धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा बोली स्वीकार होने के पश्चात बोली का 25 प्रतिशत जमानत की धनराशि के रूप में नगद जमा किया जायेगा।

2 नीलामी वर्तमान समय में चल रहे कोविड-19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

3- यह कि जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकृत होगी उसे सभी शर्तों के अनुरूप अनुबन्ध प्रपत्र व व्यक्तिगत बंधपत्र देने होंगे जो जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर व ठेकेदार के मध्य होंगे।

4- यह कि साइकिल स्टैण्ड के लिए स्थान निर्धारित है, इस हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

5- यह कि जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर बिना कारण बताये अधिक बोली को स्वीकार न करने के अधिकारी होंगे।

अध्यक्ष,

नीलामी समिति,

जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को अपने अपने नोटिस बोर्ड आम जनता के सूचनार्थ चस्पा हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर), माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को इस सूचना को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, फतेहपुर।
3. नाजिर सदर विकास भवन, फतेहपुर।
4. नाजिर तहसील, फतेहपुर।
5. जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।
7. नोटिस बोर्ड जिला जज न्यायालय।
8. सम्पादक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
9. सम्पादक प्रभात ब्यूज निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. सम्पादक दोआबा दर्शन निःशुल्क प्रकाशन हेतु।